

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ,ग, शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)
कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ,ग,) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240715
www.pssou.ac.in E-mail-registrar@pssou.ac.in

Number of Teachers in position 2018-19

S.No.	Name of Teachers	Department	Post
01	Dr. Gauri Sharma ✓	Education	Asst. Prof.
02	Dr. Shushama Solanki ✓	Zoology	Mansevi Sahayak Pradhyapak
03	Ms. Neha Anchal ✓	Physics	Mansevi Sahayak Pradhyapak
04	Dr. Anupma Kumari ✓	Journalism	Mansevi Sahayak Pradhyapak
05	Mr. Phuleshwar Verma ✓	Chemistry	Mansevi Sahayak Pradhyapak
06	Dr. Balakram Choukase ✓	Sanskrit	Mansevi Sahayak Pradhyapak
07	Dr. Anupa Thomas ✓	English	Mansevi Sahayak Pradhyapak
08	Dr. Rituraj Trivedi ✓	English	Mansevi Sahayak Pradhyapak
09	Dr. Manoj Tiwari ✓	Maths	Mansevi Sahayak Pradhyapak
10	Dr. Amit Kumar Pandey ✓	Sanskrit	Mansevi Sahayak Pradhyapak
11	Mr. Salik Ram Koshle ✓	Library Science	Mansevi Sahayak Pradhyapak
12	Mr. Omprakash ✓	Maths	Mansevi Sahayak Pradhyapak
13	Dr. Kaptan Singh ✓	Yoga	Mansevi Sahayak Pradhyapak
14	Dr. B.L. Goyal ✓	Commerce	Regional Director
15	Dr. O.P. Birthare ✓	Education	Co-ordinator
16	Dr. Mordhwaj Tripathi ✓	Commerce	Co-ordinator
17	Dr. Nilima Tiwari ✓	Botany	Co-ordinator
18	Dr. Tanuja Birthare ✓	Law	Co-ordinator
19	Dr. Deepak Pandey ✓	Psychology	Co-ordinator
20	Dr. H.N. Dubey ✓	Chemistry	Regional Co-Ordinator
21	Dr. Shalini Shukla ✓	Library Science	Programme Co-ordinator

VERIFIED


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. Beena Singh
Incharge NAAC Criteria-II
PSSOU, CG Bilaspur

22	Mr. P. Panduranga	Sociology	Programme Co-ordinator
23	Dr. Anita Pandey	Sociology	Programme Co-ordinator
24	Mr. Ganesh Gadheval	Sociology	Co-ordinator Assistant
25	Ms. Sharda Patel	Yoga	Yoga Anudeshak
26	Mrs. Priya Singh	Yoga	Yog Anudeshak

VERIFIED


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. Beena Singh
Incharge NAAC Criteria-II
PSSOU, CG Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फ़ैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2328 / प्रशा. / स्था. / 16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति द्वारा प्रस्तुत मेरिट लिस्ट एवम् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 48 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 06 में लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षा विषय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची के प्रथम उम्मीदवार डॉ. गौरी शर्मा पति श्री राजीव शर्मा को विषय शिक्षा, सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100+6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से तब तक के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक कि इस आरक्षित वर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी --

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से एक माह का नोटिस अथवा एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

क्रमशः - 02

// 02 //

- (5) सेवारत् कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानान्तरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) यह नियुक्ति नितांत अस्थायी है तथा विषय शिक्षा में अनु.जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पद में नियुक्ति के साथ ही स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सचदेव)

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 / 02 / 2016

पृ.क्रं. 2329 / प्रशा. / स्था. / 16,
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. गौरी शर्मा पति श्री राजीव शर्मा, सीनियर एच.आई.जी. 40, सेक्टर 1, दीनदयाल नगर, रिंग रोड 1, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव



प्रति,

कुलसचिव,
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय:- सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर पदभार ग्रहण करने विषयक।
संदर्भ:- वि.वि. का पत्र क्रमांक 2329/प्रशा./स्था./16 बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मैं डॉ गौरी शर्मा आज दिनांक 12/02/2016 के अपरान्ह में सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ।

RAJ
12/02/2016 A.N.

भवदीय
12.02.16
डॉ. गौरी शर्मा
सीनियर एच.आई.जी. 40,
सेक्टर- 01, दीनदयाल नगर,
रिंग रोड-1, रायपुर (छ.ग)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक / /2018

//आदेश//

विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9 ii. iii. iv के अहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधोलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों का संविदा कार्यकाल 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ाया जाता है।

क्रं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय
1.	डॉ. नीलिमा तिवारी	वनस्पति विज्ञान
2.	कु. नेहा अंचल	भौतिकी विज्ञान
3.	श्री फूलेश्वर वर्मा	रसायन शास्त्र
4.	डॉ. राधेश्याम पटेल	इतिहास
5.	डॉ. सुषमा सोलंकी	प्राणी विज्ञान
6.	डॉ. तनुजा बिरथरे	विधि
7.	डॉ. अनुपमा कुमारी	पत्रकारिता
8.	कु. शारदा पटेल	योग विज्ञान
9.	डॉ. बालक राम चौकसे	संस्कृत

इनसे ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और लगनपूर्वक सेवा की अपेक्षा करते हुये हुए इन्हें कार्य करने की अनुमति दी जा रही है जो पूर्णतः अस्थायी है। इनकी सेवा शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

कुलसचिव

पृ.क्र. 1120/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 29/08/2018

प्रतिलिपि—

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. संबंधित डॉ./श्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

Ribandh
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 1121/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 29/08/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9(iv) के तहत प्रदत्त अधिकार से माननी कुलपति जी द्वारा डॉ. अनुपा थॉमस पति श्री शाजी थॉमस को दिनांक 29.08.2018 से 31.10.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रू. 10430/-- एवं प्रोत्साहन राशि 12536/-- प्रतिमा पर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक (अंग्रेजी) का कार्य करने की अनुमति प्रदान किया गया है विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न हो या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनीयता की दशा में बिना पूर्व सूचना के ए बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 31.10.2018 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार

Ridwan
कुलसचिव



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752 - 240712)

www.pssou.ac.in E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्र. / कु.कार्या / 18

बिलासपुर दिनांक : ... / 12 /

// आदेश //

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्रमांक 1167/स्था./2018 दिनांक 06.10.2018 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका के ii.iii.iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधोलिखित चयनित को निश्चित मानदेय रु. 29000.00 (उन्तीस हजार) प्रति माह पर नितांत अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से 15 जून 2019 तक पूर्णकालिक मानसेवी संविदा सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	चयनित का नाम	विषय
1.	डॉ. मनोज तिवारी ✓	गणित
2.	श्री फुलेश्वर वर्मा	रसायन शास्त्र
3.	श्री सालिक राम -	पुरस्तकालय विज्ञान
4.	डॉ. अमित पाण्डेय -	संस्कृत
5.	डॉ. रितु राज त्रिवेदी ✓	अंग्रेजी
6.	डॉ. करुणा निधान सिंह	भौतिक शास्त्र
7.	डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी	वाणिज्य
8. ✓	डॉ. सुषमा सोलंकी	जीव विज्ञान

आदेश जारी होने की तिथि से 08 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

पृ.क्र. 1315 / कु.कार्या / 18

प्रतिलिपि :-

(1) निज सचिव, कुलपति को मान. कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(2) क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।


(3) वित्तधिकारी को सूचनार्थ।


(4) संबंधित डॉ./श्री.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(5) कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक : 17 / 12 / 18


17/12/2018


कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोणी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 31 /12/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्रमांक 1167/स्था./2018 दिनांक 06.10.2018 के तारतम्य में विश्वविद्यालय परिनियम 2 की कंडिका के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत विषय गणित में चयन सूची के तृतीय स्थान पर चयनित श्री ओमप्रकाश देवांगन को निश्चित मानदेय रु. 21000.00 (इक्कीस हजार रु.) प्रति माह पर नितान्त अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से जून 2019 तक पूर्ण कालिक मानसेवी कंसल्टेन्ट-सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 13 59/स्था./2018

बिलासपुर, दिनांक: 31 /12/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री/श्रीमती/ को आदेश के पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

Ridaha
कुलसचिव

२३ प्रतिलिपि डिया

Omp
01/01/2019



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752 - 240712)

www.pssou.ac.in E-mail - registrar@pssou.ac.in

बिलासपुर, दिनांक : / 12 / 18

पु.क्र. / कु.कार्या. / 18

// आदेश //

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्रमांक 1167/स्था./2018 दिनांक 06.10.2018 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका के ii,iii,iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधोलिखित चयनित को निश्चित मानदेय रु. 21000.00 (इक्कीस हजार) प्रति माह पर नितांत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से 15 जून 2019 तक पूर्णकालिक मानसेवी कंसल्टेन्ट - सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	चयनित का नाम	विषय
1.	डॉ. कप्तान सिंह	योग विज्ञान
2.	डॉ. दमयंति पटेल	गणित
3.	डॉ. श्रीमती तनुजा बिरथरे	विधि
4.	डॉ. बालक राम चौकसे	संस्कृत
5.	कु. अनुपमा कुमारी	पत्रकारिता
6.	डॉ. अनुपम थॉमस	अंग्रेजी

आदेश जारी होने की तिथि से 08 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक : 17/12/18

पु.क्र. 1217 / कु.कार्या. / 18

प्रतिलिपि :-

- (1) निज सचिव, कुलपति को मान. कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
- (2) क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
- (3) वित्तधिकारी को सूचनार्थ।
- (4) संबंधित डॉ./श्री..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (5) कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

20-12-18

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240711 website- pssou.ac.in

क्र. ७४६(अ)/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: १७/०६/२०१८

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 72 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 में लिए गये निर्णय अनुसार डॉ. बी.एल.गोयल, सेवा निवृत्त, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर को विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर मानसेवी रूप में निश्चित मानदेय रु. 60,000.00 (साठ हजार मात्र) प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से छै माह के लिए कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

आदेशानुसार

R. S. S.
कुलसचिव

पृ.क्रमांक /स्था./2018

बिलासपुर, दिनांक: /06/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. डॉ. बी.एल.गोयल. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विभाग प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र को सूचनार्थ।
8. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक /12/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 78 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 4 में लिए गये निर्णय अनुसार डॉ. बी.एल. गोयल, सेवानिवृत्त, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर को विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर मानसेवी रूप में निश्चित मानदेय रु. 60,000.00 (साठ हजार मात्र) प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से छः माह के लिए कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 1319/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 19/12/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. डॉ. बी.एल. गोयल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विभाग प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र को सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

Rudra
कुलसचिव
SP

क्रमांक

/स्था./प्रशा./2016

बिलासपुर,दिनांक 01/03/2016

// आदेश //

विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 02 के कंडिका 09 की उपकंडिका 03 में कुलपति जी को प्रदत्त शक्ति के तहत श्री ओ.पी.बिरथरे, निवासी अम्बा टावर, वर्मा नर्सिंग होम के पास विनोबा नगर बिलासपुर को मूल्यांकन समन्वयक (गोपनीय विभाग) के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निश्चित मासिक मानदेय रुपये 24840.00 (रु. चौबीस हजार आठ सौ चालीस मात्र) पर दिनांक 02.03.2016 से छः माह के लिए नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा कभी भी बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताए निरस्त की जा सकती है, इसे भविष्य में किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2468/स्था./प्रशा./2016

बिलासपुर,दिनांक 01/03/2016

प्रतिलिपि—

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. श्री ओ.पी.बिरथरे, निवासी अम्बा टावर, वर्मा नर्सिंग होम के पास विनोबा नगर बिलासपुर को आदेश के पालनार्थ एवं सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

R. S. Choudhary

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. /स्था./2019

बिलासपुर दिनांक: /02/2019

1310

14/12/2018

// आदेश //

श्री / श्रीमती / क्रु. नीलिमा तिवारी प्रिता / पति श्री पु.स. निवाड

को दिनांक 14.12.2018 से 07.06.2019 तक के लिये मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.

10,440/- एवं प्रोत्साहन राशि 16,500/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में

रा.म.व.प. का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय

में इनकी सेवाएं विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों पर

आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या

इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना

कारण बताये कार्य करने की अनुमति 07.06.2019 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

Risanda
कुलसचिव
87

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 1122/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 29/08/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9(iv) के तहत प्रदत्त अधिकार से माननीय कुलपति जी द्वारा डॉ. दीपक पाण्डेय पिता श्री शिव कुमार पाण्डेय को दिनांक 29.08.2018 से 31.10.2018 तक के लिए कार्यक्रम समन्वयक (मनोविज्ञान) का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 31.10.2018 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार

R. W. S. S.
कुलसचिव
श्री

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

704 /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 12/02/2018

//आदेश//

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 68वीं बैठक दिनांक 23.01.018 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में लिए गये निर्णय के परिपालन में डॉ. हरि नारायण दुबे, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग के कार्य गुणवत्ता, प्रभाव एवम् कार्यभार को देखते हुए उनके मासिक मानदेय को 30,000.00 (तीस हजार) प्रति माह किया जाता है। यह मानदेय 1 फरवरी 2018 (भुगतान माह मार्च 2018) से प्रभावशील होगा।

(मा. कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित)

R. W. S. S. S.
कुलसचिव

क्रमांक 705 /स्था./2018

बिलासपुर, दिनांक: 12/02/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित डॉ. हरि नारायण दुबे, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

R. W. S. S. S.
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 965 /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 18/06/2018

//आदेश//

श्री/श्रीमती/कु. शालिनी शुक्ला पिता/पति श्री विवेक शुक्ला

को दिनांक 18.06.2018 से 07.12.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
...10430=00 एवं प्रोत्साहन राशि ...12536=00... प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
...सिपिह सहस्रपुत्र... का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार
ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य
करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य
करने की अनुमति 07.12.2018 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

Rishabh
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 1310 / स्था. / 2019

बिलासपुर दिनांक: /02/2019

14-12-18

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कृ. शालिनी शुक्ला पिता/पति श्री विवेक शुक्ला

को दिनांक 14.12.2018 से 07.06.2019 तक के लिये मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
..... 10,430/- एवं प्रोत्साहन राशि 12,536/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
..... कार्यरत समन्वयक का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
में इनकी सेवाएं विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों पर
आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या
इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना
कारण बताये कार्य करने की अनुमति 07.06.2019 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

R. W. S.
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. /स्था./2019

बिलासपुर दिनांक: /02/2019

1310

14.12.18

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कृ. पी. पाण्डुरंगा बाबू पिता/प्रति श्री पी. व्ही. राधकृष्ण

को दिनांक 14.12.2018 से 07.06.2019 तक के लिये मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु. 10,430/- एवं प्रोत्साहन राशि 12,536/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय में इनकी सेवाएं विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 07.06.2019 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

R. S. S.
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 965/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 18/06/2018

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. अनिता पौडेल पिता/पति श्री अनिल पौडेल

को दिनांक 18.06.2018 से 07.12.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
..... 10430/- एवं प्रोत्साहन राशि 12536/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
..... कार्यरत का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार
ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य
करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य
करने की अनुमति 07.12.2018 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

Risabh
कुलसचिव
30

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 1310 /स्था./2019

बिलासपुर दिनांक: /02/2019

14-12-18


// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. अनिता पांडेय प्रिया/पति श्री अनिल पांडेय

को दिनांक 14.12.2018 से 07.06.2019 तक के लिये मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
10,430/- एवं प्रोत्साहन राशि 12,536/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
कार्यक्रम-समन्वयक का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
में इनकी सेवाएं विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों पर
आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या
इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना
कारण बताये कार्य करने की अनुमति 07.06.2019 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 465 / स्था. / 2018

बिलासपुर दिनांक 18/06/2018

// आदेश //

श्री / श्रीमती / कु. गणेश कुमार गौड़ पिता / पति श्री अलशंकर गौड़

को दिनांक 18.06.2018 से 07.12.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
4200 = 00 एवं प्रोत्साहन राशि 5677 = 00 प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
रू. 27814 रु. 274-94 रु. का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार
ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य
करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य
करने की अनुमति 07.12.2018 के पूर्व भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

R. S. Chandra
कुलसचिव
81

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 1355/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 31/12/2018

//आदेश//

विश्वविद्यालय में संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम योग विज्ञान की संपर्क कक्षा, प्रायोगिक परीक्षा विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संपन्न कराने एवं अन्य कार्य के लिए योग अनुदेशक हेतु दिनांक 10.10.2018 को संपन्न लिखित परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार में सफल उम्मीदवार के प्रतीक्षा सूची में द्वितीय स्थान पर चयनित श्रीमती प्रिया सिंह राजपूत को योग अनुदेशक का कार्य करने हेतु नितांत अस्थाई रूप से विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9 के ii,iii,iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत 15 जून 2019 तक निश्चित मानदेय रु. 18000.00 (अट्टारह हजार) प्रति माह पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्य निष्पादन एवं विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

इनसे ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और लगनपूर्वक सेवा की अपेक्षा करते हुये इन्हे कार्य करने की अनुमति दी जा रही है जो पूर्णतः अस्थाई है, तथा कभी भी बगैर सूचना या कारण बताये निरस्त की जा सकेगी। यह आदेश कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

Rudra
कुलसचिव

Rudra

पृ.क्रमांक 1355/स्था./2018

बिलासपुर, दिनांक: 31/12/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री/श्रीमती/ को आदेश के पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

Rudra
कुलसचिव

Rudra

D: Est./Order

एक प्रति प्राप्त किया गया

Rudra
31/12/2018